भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3361
दिनांक 16 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनपीपीए को प्राप्त शिकायतें

3361. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को सम्पूर्ण देश में निजी क्षेत्र के अस्पतालों द्वारा दवाओं के अधिक मूल्य लेने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की एनसीआर सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) एनपीपीए द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या कितनी है और ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध अब तक अस्पताल-वार क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) ऐसे अस्पतालों में दवाओं के अधिक मूल्य की निगरानी रखने के लिए सरकार का क्या निगरानी तंत्र है;
(घ) एनपीपीए के कामकाज में सुधार के लिए सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों की संख्या कितनी है और ऐसे सुझावों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ) अस्पतालों को दवाओं का अधिक मूल्य लेने से रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): औषध विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा प्राप्त निजी क्षेत्र के अस्पतालों के खिलाफ अधिप्रभार/अधिमूल्य की शिकायतों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**राज्य-वार**	**शिकायतों की संख्या**
2017-18	**दिल्ली**	2
	हरियाणा	2
2018-19	-	-
2019-20	**पश्चिम बंगाल**	1
2020-2021	**महाराष्ट्र**	1
	तेलंगाना	4
	दिल्ली	1
	कर्नाटक	1
कुल		**12**

(ख): इन शिकायतों की जांच औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार की गई है। ऐसे मामलों में, जहां प्रशासित दवाइयों के एमआरपी के अधिमूल्य पाए गए थे, अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के लिए अधिसूचित अधिकतम मूल्यों के उल्लंघन में या गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के एमआरपी में वार्षिक वृद्धि 10% से अधिक पाई गई, तो डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दवा के विनिर्माता/विक्रेता से ब्याज सहित अधिप्रभार राशि की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई, व्यक्तिगत मामले में यथा लागू, की शुरूआत की गई थी। कर्नाटक के एक अस्पताल के मामले में, जहां अस्पताल में रोगी के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन का अधिप्रभार पाया गया, इस समस्या के समाधान के लिए एनपीपीए द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

(ग) और (ङ): औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के अधीन, एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य नियत करता है। डीपीसीओ, 2013 में परिभाषित नई दवाइयों की श्रेणी में आने वाले गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के खुदरा मूल्य भी एनपीपीए निर्धारित करता है। ये सभी मूल्य एनपीपीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयां (पीएमआरयू) और राज्य औषधि नियंत्रकों

(एसडीसी) की मदद से डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियत मूल्य की नियमित रूप से निगरानी करता है और लागू करता है। मूल्य अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसडीसी के माध्यम से यादृच्छिक आधार पर पूरे देश के खुले बाजार से नमूने भी खरीदे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए विभिन्न चैनलों के माध्यम से अधिप्रभार के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करता है। यह पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान 10% से अधिक की मूल्यों में वृद्धि के लिए गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों की भी निगरानी करता है।

(घ): एनपीपीए के कामकाज में सुधार के लिए प्राप्त सुझावों की जांच की जाती है और उपयुक्त रूप से लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अधीन फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों द्वारा दायर विभिन्न आवदेनों के समय पर निपटान और निगरानी के लिए एकल खिड़की ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र लागू किया है। प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति को अपलोड करने के तरीके के साथ एक ट्रैकिंग प्रणाली भी लागू की है। इस सुधार के माध्यम से, विभिन्न स्वीकृतियों के लिए आवेदन करने में सरलीकरण सुनिश्चित किया गया है और ऑफ़लाइन आवेदनों सहित विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बोझ को कम किया गया है।

*****